न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 02/2019 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2019/00002

उनवान

1. जण्डैल सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह जाति ठाकुर निवासी फतेह का नगला, मौजा रतनपुर, तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रतीराम पुत्र श्री लाखन सिंह
2. दाताराम पुत्र श्री लाखन सिंह
3. अनेग सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह

} जातिगण ठाकुर निवासीगण फतेह का नगला, मौजा रतनपुर तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

4. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बसेडी।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बसेडी दि0 12.06.2018 प्र.सं. 12/2017 उनवानी रतीराम बनाम जण्डैल सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–21.04.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित के वादी रैस्पो0 एवं प्रतिवादी अपीलाण्ट राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार सहखातेदार काश्तकार दर्ज अभिलेख हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः सम्मिलित रूप से काश्त करने में आये दिन फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 22.03.2018 को प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार बसेडी से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं तहसीलदार बसेडी से प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

12.06.2018 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अंतिम डिक्री पारित करते समय अपीलाण्ट को विभाजन प्रस्तावो पर सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में बिना अपीलाण्ट को सूचित किये पारित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव भी स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। जिन पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर अंकित हैं। विभाजन प्रस्तावो में अच्छी अच्छी भूमि रैस्पो0 को दी गयी है। इस प्रकार प्रकरण में विभाजन के नियम 18–21 की कोई पालना नहीं की गयी है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2023(1) पेज 585, 2023(1)77, 219, 477 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि प्रकरण में अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत सुनवाई का मौका नहीं दिया एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18–21 की पालना नहीं की गयी है। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.02.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण प्रतिवादी की तलवी हेतु विचाराधीन होकर अग्रिम पेशी दिनांक 16.03.2018 नियत की गयी। पेशी दिनांक 16.03.2018 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहे एवं अग्रिम पेशी दिनांक 22.03.2018 नियत की गयी। पेशी दिनांक 22.03.2018 को प्रकरण में प्रतिवादी की तलवी कराये बिना ही प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जो न्यायसंगत नहीं है। इसके अलावा प्राथमिक डिक्री पारित करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विभाजन प्रस्वात तलव करते हुये, अग्रिम पेशी दिनांक 26.04.2018 नियत की गयी है। परन्तु दिनांक 26.04.2018 की कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी है एंव प्रकरण सीधे दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत में रखकर अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु पक्षकारो को सूचना दी हो, ऐसा भी कोई तामील शुदा नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर, पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा उन्हें तहसीलदार के लिये पृष्ठाकंन किया हुआ है एवं उन पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर अंकित है। जिससे स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं थे। जबकि विभाजन के प्रकरणो में स्वयं

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

तहसीलदार को मौके पर जाकर एवं पक्षकारो की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आज्ञापक है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में विभाजन के नियम 18–21 की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2018 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, तहसीलदार स्वयं से पक्षकारो की उपस्थिति में विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए, विभाजन प्रस्ताव तैयार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.05.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर